कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश

क्रमांक–क्यू/एसटी/सत्कार/2018 ग्वालियर,दिनांक 5 –03–2018

निविदा

ग्वालियर जिले मे राजकीय अतिथि एंव विशिष्ट अतिथि गणो के ग्वालियर प्रवास के अवसर पर किराये के वाहनो की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये आगन्तुक अतिथियो के आवागमन एंव सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य शासकीय कार्यो के लिये निजी ट्रेवल एजेन्सी द्वारा जिला प्रशासन को किराये के वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो का पालन करते हुये वित्तीय वर्ष 2018–19 (31 मार्च 2019 तक) की अवधि हेतु संलग्न प्रपत्र मे अंकित मध्यम श्रेणी के वाहनो के लिये निविदाऐ आंमत्रित की जाती है ।

निविदा प्रदाता हेतु शर्ते/प्रतिबन्ध

1– वाहनो की स्थिति एंव रख रखाव उत्तम श्रेणी का हो । वाहन वर्ष 2016 के पूर्व का मॅाडल नही होना चाहिये ।

2– क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय मे टेक्सी कोटे मे रजिस्टर्ड वाहन ही किराये पर लिये जावेगे।

3– आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्रीय ध्वज/ सीट कवर आदि प्रदाय करना होगे ।

4– वाहन चालक स्वच्छ सफेद वर्दी मे हो । वाहन चालक आपराधिक चरित्र का न हो । चालक के पास कमर्शियल वाहन चालक का लायसेन्स हो ।

5– फर्म का पंजीयन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय ग्वालियर मे होना आवश्यक है । फर्म के पास आयकर विभाग का पीएएन नम्बर होना अनिवार्य है । उक्त दोनो की छाया प्रतिया निविदा के साथ सत्यापित कर संलग्न करना होगी ।

6– अलग–अलग मॅाडल के वाहन हेतु पृथक–पृथक दर निविदा संलग्न प्रपत्र मे अंकित की जावे। दरे 31 मार्च 2019 तक के लिये रहेगी।

7– अल्प सूचना पर वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा । मांग किये जाने के एक धन्टा (60 मिनिट) के अन्दर वाहन निर्धारित स्थान पर पहुचाना होगा । नियत समयावधि मे वाहन प्राप्त न होने पर संस्था की धरोहर राशि राजसात कर ली जायेगी एंव आगामी वर्ष के लिये निविदा प्रकिया के लिये प्रतिबन्धित किया जावेगा ।

8– वाहन किराये की अवधि मे वाहन के संधारण के व्यय का वहन वाहन प्रदाता को वहन करना होगा ।

9– वाहन प्रदाता को वाहन के Comprehensive Insurance , वाहन पंजीयन , फिटनेस एंव प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहन मे रखने होगे । किसी प्रकार की दुर्धटना होने पर वाहन प्रदाता उसके लिये जिम्मेदार होगा । उक्त समस्त कागजात अद्यतन रखना होगे ।

10– वाहन मे हुई किसी तकनीकी खराबी होने के कारण यदि आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग करने मे बाधा आती है तो वाहन प्रदाता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था करना आवश्यक होगा ।

11– मार्ग मे वाहन खराब होने की स्थिति मे वाहन के खराब होने के स्थान से गैरेज तक वाहन लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा ।

12– निविदा पर निविदाकार के हस्ताक्षर न होने की स्थिति मे निविदा अमान्य होगी ।

13– निविदा स्वीकृति एंव अस्वीकृति के संपूर्ण अधिकार कलेक्टर ग्वालियर को रहेगे।

14– प्राप्त निविदाओ के तुलनात्मक विवरण तैयार होने के बाद शासन हित मे निगोशियेशन की कार्यवाही की जा सकती है जिसे चुनोती के रूप मे स्वीकार नही किया जा सकेगा।

15– निविदा प्रस्तुत कर्ता 25000/– (पच्चीस हजार रूपये) नगद राशि जिला कार्यालय की नजारत शाखा मे जमा कर रसीद निविदा के साथ संलग्न करेगे । समय पर वाहन प्राप्त न होने अथवा निविदा शर्तो का उल्लंधन करने पर उक्त राशि राजसात की जा सकेगी ।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
जिला ग्वालियर म प्र

कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश

<u>प्रस्तावित दरे</u>

अनुबन्ध अवधि 31 मार्च 2019 तक

क	विवरण	वाहन का प्रकार (राशि रूपये मे)										
		इनोवा	इंडिगो	इंडिका	सफारी	तवेरा	स्कार्पियो	जायलो	सूमो	बुलेरो	एसेंट	होडासिटी
1	विमानतल / रेल्वे स्टेशन से पिकअप											
2	विमानतल / रेल्वे स्टेशन छोडना											
3	08 घन्टे 80 किलोमीटर											
4	अतिरिक्त प्रति किलोमीटर											
5	अतिरिक्त घन्टे											
5	रात्रिकालीन प्रभार											
6	मासिक किराया (1500 किलोमीटर)											